कौटिल्य एकेडमी
www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

CURRENT AFFAIR

06th JULY 2023

1. SCO शिखर सम्मेलन 2023
2. दल-बदल विरोधी कानून
3. भारत-म्यांमार- थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग
4. अल्लूरी सीताराम राजू
5. अजीत अगरकर

SCO शिखर सम्मेलन 2023

- भारत ने हाल ही में को **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स (CHS) की **23वीं बैठक** की मेजबानी की।
- भारत ने इसमें अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश की। इसने सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया जो पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश था।
- इस दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके 9वें सदस्य देश के रूप में SCO की सदस्यता प्राप्त की।
- **भारत की अध्यक्षता की थीम-** 'सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर (Towards a SECURE SCO)' है।

- **SECURE** शब्द वर्ष 2018 में आयोजित SCO के किंगदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है।
- **SECURE शब्द अर्थ है:** S: सुरक्षा, E: आर्थिक विकास, C: कनेक्टिविटी, U: एकता, R: संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिये सम्मान, E: पर्यावरण संरक्षण।
- भारत ने SCO सदस्यों के आर्थिक-रणनीति वक्तव्य में "इच्छुक सदस्य देशों" का उल्लेख करते हुए BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) का भाग बनना अस्वीकार कर दिया।
- BRI को लेकर भारत का विरोध पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर (POK) में परियोजनाओं को शामिल करने से उत्पन्न हुआ है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने SCO के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिये कनेक्टिविटी के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
- हालाँकि उन्होंने SCO चार्टर के मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया लेकिन साथ ही विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की सुरक्षा पर भी ज़ोर दिया।
- प्रधानमंत्री ने उन देशों की आलोचना की जो सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में नियोजित करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं।

- उन्होंने SCO से ऐसे देशों की निंदा करने में संकोच न करने का आग्रह किया और इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में निरंतरता के महत्त्व पर बल दिया।
- चीनी राष्ट्रपति ने BRI की दसवीं वर्षगाँठ मनाते हुए अपनी नई वैश्विक सुरक्षा योजना (GSI) का उल्लेख किया, जिसमें क्षेत्र में एक ठोस सुरक्षा कवच स्थापित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के राजनीतिक समाधान का आह्वान किया गया।
- SCO एक स्थायीअंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शाति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।
- इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया।
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मज़बूत करना।
- **SCO सचिवालय:** इसका सचिवालय बीजिंग में है, यही से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है।
- **आधिकारिक भाषा:** SCO सचिवालय की आधिकारिक कामकाज़ी भाषा रूसी और चीनी है।

दल-बदल विरोधी कानून

- **महाराष्ट्र** में **एनसीपी नेता अजित पवार** ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर शिंदे-फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पूरे घटनाक्रम के बाद **'आया राम गया राम'** कहावत फिर से चर्चा में आ गई है।
- अजित पवार ने **40 विधायकों के समर्थन का दावा** तो किया लेकिन उनकी बैठक में संख्याबल दिखाई नहीं दिया। ऐसे में एक बार फिर दलबदल कानून से बचने के लिए दोनों ही गुटों में आंकड़ों को अपने पक्ष में करने की खींचतान जारी है।

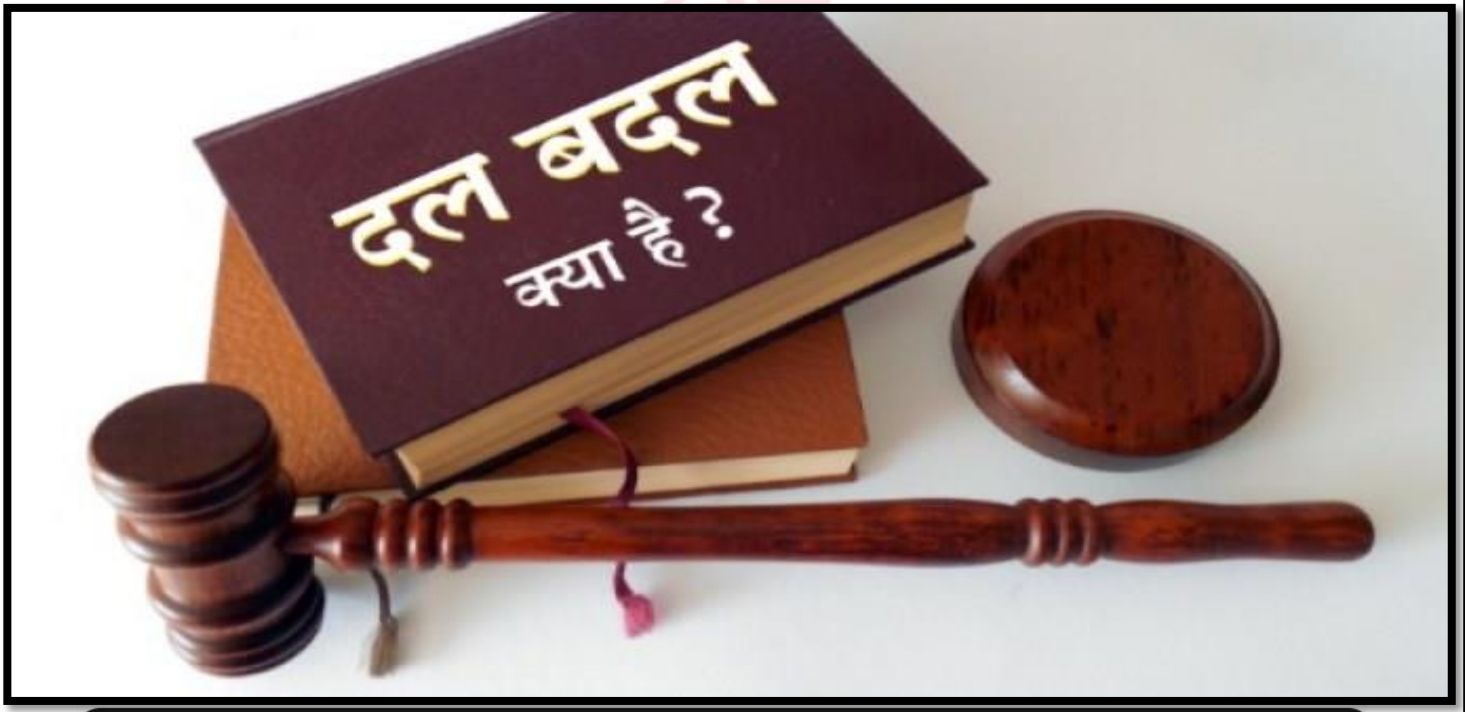

- पिछले कुछ साल में महाराष्ट्र में दल बदलने के मामलों में तेजी आई है। साल 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के दो तिहाई विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी। वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हो गए।
- वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हो गए। इससे शिवसेना दो गुटों में बंट गई। इनमें एक गुट **एकनाथ शिंदे** और दूसरा **उद्धव ठाकरे** के साथ हो गया। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।
- 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के अजित पवार अपनी पार्टी के विधायकों के साथ शिंदे-फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए।
- एनसीपी के पास कुल 53 विधायक है अगर अजित पवार को अयोग्यता से बचना है तो उनके पास कम से कम 37 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। अजित पवार ने 40 से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में होने का दावा किया है।
- भारतीय सविधान की **10वीं अनुसूची** जिसे लोकप्रिय रूप से **'दल बदल विरोधी कानून'** (Anti-Defection Law) कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें सविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
- यह **'दल-बदल क्या है'** और दल-बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है।

- इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जन-प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे।
- **दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है:**
  - यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है।
  - यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
  - यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है।
  - यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।
  - छह महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- **दल- बदल विरोधी कानून संबंधित विभिन्न समितियों के विचार:**

दिनेश गोस्वामी समिति

  - वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल-बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिये।

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट:

- विदित हो कि वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व दो या दो से अधिक पार्टियाँ यदि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती हैं तो दल-बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को ही एक पार्टी के तौर पर माना जाए।
- राजनैतिक पार्टियों को व्हिप (दल के पक्ष में वोट न देने या किसी भी पक्ष को वोट न देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश) केवल तभी जारी करनी चाहिये, जब सरकार खतरे में हो।

चुनाव आयोग का मत:

- चुनाव आयोग का विचार है कि इस संबंध में उसकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिये।
- अतः दसवीं अनुसूची के तहत आयोग की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

भारत-म्यांमार- थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग

- **केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय** के मुताबिक, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का **लगभग 70% निर्माण कार्य** पूरा हो चुका है।
- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में भारत और थाईलैंड को रोड के जरिए जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन 2004 में उनकी सरकार जाने के बाद यह प्रोजेक्ट **ठंडे बस्ते** में चला गया।
- यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सड़क संपर्क परियोजना है।

- **1,360 किलोमीटर लंबा राजमार्ग** भारत-म्यांमार सीमा पर मणिपुर के मोरेह से शुरू होता है और तामू (म्यांमार) से होते हुए थाईलैंड के माई सोट तक चलता है।
- भारत-म्यांमार मैत्री सड़क आईएमटी राजमार्ग का पहला खंड बनाती है। यह तमू मोरेह की सीमा से कालेम्यो और कालेवा तक चलती है। इसे भारत सरकार की सहायता से बनाया गया था और 2009 में म्यांमार सरकार को सौंप दिया गया था।
- इस परियोजना के लिए **लगभग 78 किमी नई सड़कों** और मौजूदा 400 किमी सड़कों के उन्नयन की आवश्यकता है।
- भारतीय पक्ष में, परियोजना को विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा म्यांमार और थाईलैंड में अपने समकक्षों के सहयोग और वित्त मंत्रालय से बजटीय आवंटन के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** (आईएमटी राजमार्ग), 1,360 किमी लंबा मार्ग, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत निर्माणाधीन एक राजमार्ग है जो मोरेह, भारत को म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड के माई सॉट से जोड़ेगा। साथ ही इसे **कंबोडिया, लाओस** और **वियतनाम** तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है।

- भारत की पूर्व की ओर देखो नीति एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने और मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा एक प्रयास है।
- यह नीति भारत को क्षेत्र में **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना** के रणनीतिक प्रभाव के प्रतिकारक के रूप में स्थापित करने का भी काम करती है।

अल्लूरी सीताराम राजू

- राष्ट्रपति ने हाल ही में हैदराबाद में स्वतंत्रता सेनानी **अल्लूरी सीताराम राजू** की **125वीं जयंती** कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित किया।
- राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का लोकार्पण किया। उन्होंने सीताराम राजू के जीवन पर एक एनिमेशन फिल्म का भी अनावरण किया। **तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव** और **केन्द्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी** भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर तेलुगु फिल्म अल्लूरी सीतारम राजू और श्री श्री के गीत **"तेलुगु वीरा लेवारा...दीक्षा बूनी सागर (शपथ लें और आगे बढ़ें)"** का जिक्र किया।
- अल्लूरी सीताराम राजू का **जन्म 4 जुलाई, 1897 ई.** (कुछ स्त्रोतों में 1898) को भीमावरम के निकट मोगल्लू गांव ,वर्तमान आंध्रप्रदेश में, हुआ था।
- पैतृक गांव में ही स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए वे विशाखापत्तनम चले गए।
- 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यास ले लिया तथा कृष्णदेवीपेट में आश्रम बनाकर ध्यान व साधना आदि में लग गए।
- आदिवासियों ने उन्हें ऐसा संत माना , जो उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के अपमानजनक अस्तित्व से मुक्ति दिलाएगा ।
- असहयोग आंदोलन के दौरान सीताराम राजू ने स्थानीय पंचायतों में आपसी विवादों को सुलझाने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए आदिवासियों को प्रेरित किया।
- कुछ समय पश्चात गांधीवादी आंदोलन से उनका मोहभंग हो गया और **अगस्त,1922** में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध **'रम्पा विद्रोह'** आरम्भ किया।
- रम्पा प्रशासनिक क्षेत्र में **लगभग 2800 जनजातियाँ** रहती थीं, जो खेती में **'पोडु'** प्रणाली का प्रयोग करती थीं। **'पोडु'** प्रतिवर्ष जंगलों को काटकर की जाने वाली खेती है।

- **'मद्रास वन अधिनियम, 1882'** के तहत **'पोडु'** खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- इस आदेश के विरुद्ध आदिवासियों ने सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसे **'मान्यम'** के नाम से जाना जाता है।
- इन आदिवासियों ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और रेलवे लाईनों के निर्माण में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने से मना कर दिया।
- सीताराम राजू ने उनके लिए न्याय की मांग की और अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया।
- **22 अगस्त, 1922** को उन्होंने पहला हमला चिंतापल्ली में किया। अपने 300 सैनिकों के साथ शस्त्रों को लूटा। उसके बाद कृष्णदेवीपेट के पुलिस स्टेशन पर हमला कर किया और विरयया डोरा को मुक्त करवाया।
- सीताराम राजू को पकड़वाने के लिए सरकार ने स्कार्ट और आर्थर नाम के दो अधिकारियों को इस काम पर लगा दिया और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर **10,000 रुपये इनाम** की घोषणा की।
- आदिवासियों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के कारण सीताराम राजू ने आत्मसमर्पण कर दिया, ये सोचकर कि उनके साथ न्याय होगा।
- **7 मई 1924** को उन्हें धोखे से फंसाया गया और एक पेड़ से बांधकर गोली मार दी गई।

- **8 मई 1924** को उनका **अंतिम संस्कार** किया गया।
- उनकी वीरता और साहस के लिए उन्हें **'मान्यम विरुहु'** (जंगल का नायक) उपाधि से सम्मानित किया गया।
- प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार उनकी जन्म तिथि, **4 जुलाई** को राज्य उत्सव के रूप में मनाती है।

कौटिल्य एकेडमी

अजीत अगरकर

- **भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)** ने **अजीत अगरकर** को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- **सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा** और जतिन **परांजपे** वाले क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने अजीत अगरकर के नाम की सिफारिश की।

अजित अगरकर का करियर

टेस्ट

मैच 26 | रन 571

विकेट 58

वनडे

मैच 191 | रन 1269

विकेट 288

टी-20I

मैच 4 | रन 15

विकेट 3

- फरवरी 2023 में चेतन शर्मा को बर्खास्त किए जाने के बाद से मुख्य चयनकर्ता का पद खाली है।
- अजीत अगरकर ने भारत के लिए 26 टेस्ट, 191 वनडे और चार टी20 खेले हैं।
- वह 2007 आईसीसी विश्व टी20 विजेता टीम का हिस्सा थे।
- सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला, श्रीधरन शरथ और शिव सुंदर दास पुरुष चयन समिति के सदस्य हैं।
- चयनकर्ताओं के मेहनताना में बढ़ोतरी का औपचारिक निर्णय बोर्ड की शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान लिया जाएगा।